राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F 2( )Bud./SNA/ICDS/2021/59599-63) जयपुर, दिनांक : 20/4/2022

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास सेवाऐं,
समस्त।

विषयः—विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत खोले गये SNA (Single Nodal Account) के कियान्वयन हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत खोले गये सिंगल नोडल बैंक खाते (SNA) के कियान्वयन/संचालन हेतु अधीनस्थ जिला/परियोजना कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। विभाग के अधीन एक जिले में स्वीकृत कार्यालयों (जिला/परियोजना) की संख्या के आधार पर, तीन परियोजना कार्यालयों पर एक मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है।

अतः आपके जिले हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, योग्य व कम्प्यूटर संबंधी बेसिक जानकारी रखने वाले तथा पे—मैनेजर पर कार्य करने वाले कार्मिकों के नाम मय पद की सूची, अविलम्ब उपलब्ध करावें, जिससे उक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण किया जा सके तथा उक्त मास्टर ट्रेनर, प्रशिक्षण प्राप्त कर (जिला/परियोजना कार्यालयों) के अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : F 2( )Bud./SNA/ICDS/2021/59632-951 जयपुर, दिनांक : 20/4/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. समस्त योजना प्रभारी, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि योजना संचालन हेतु निदेशालय स्तर पर भी मास्टर ट्रेनर्स हेतु अधिकारी/कार्मिकों के नाम उपलब्ध करावें तथा प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं, समस्त।
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी